Date: / /

एस.सी. दुबे का कहना है कि भारत मे धार्मिक सीमाएं ज्यादा स्पष्ट रुप मे अंकित है।

हिन्दू धर्म → भारतीय जनसंख्या का 82.7 प्रतिशत हिन्दू धर्म मानने वाले है

इस्लाम धर्म → भारतीय जनसंख्या 11.8 प्रतिशत ~~इस्~~ इस्लाम धर्म को मानने वाला है।

ईसाई धर्म → भारतीय जनसंख्या का 2.6% ईसाई धर्म को मानने वाला है।

सिक्ख धर्म → भारतीय जनसंख्या का 2% सिक्ख धर्म मानने वाला है।

बौद्ध धर्म → भारतीय जनसंख्या का 0.7% बौद्ध धर्मी है। यह हिन्दू धर्म से निकला है। इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे जो हिन्दू राजकुमार थे

जैन धर्म → भारतीय जनसंख्या का 0.4% जैन धर्मी है। यह हिन्दू धर्म से निकला है। इसके प्रवर्तक वर्धमान महावीर माने जाते है।

पारसी धर्म → भारतीय जनसंख्या का 0.3% पारसी धर्म है। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे इनका धार्मिक ग्रन्थ "अवेस्ता" है।

यहूदी धर्म → भारतीय जनसंख्या का 0.3% यहूदी धर्मी है। यहूदी मुख्य रुप से दो स्थानो पर केन्द्रित है।

(1) कोचीन और (2) महाराष्ट्र

Date: / /

धार्मिक असामंजस्य की समस्याएँ

① साम्प्रदायिकता —
जिनके स्वार्थ एक दूसरे के भिन्न है। और कभी कभी उनके पारस्परिक विरोध है। यह विरोध किसी विशेष समुदाय पर झूठे आरोप लगाना और क्षति पहुचाना और जान से मार देने तक का अपमानित का रूप लेता है।

बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक का भेद —

जे. ए. लैपोन्स = अनुसार एक अल्पसंख्यक एक समूह है। जो स्वयं को एक अल्पसंख्यक के रूप मे सोचता है।

एल विर्थ — का मानना है। कि अल्पसंख्यक के साथ पृथकता एवं अधीनस्थ व्यवहार किया जाता है।

सांस्कृति विभिन्नता → प्रत्येक धर्म के विश्वास उत्सव एवं त्योहार वेश भूषा रीति रिवाज रहन सहन आदि एक दूसरे से भिन्न है।

राष्ट्रीय पृथकरण — भारत और पाकिस्तान एक थे इनका विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ धर्म के नाम पर ही पंजाब को भारत से अलग करने की योजना खालिस्तान आन्दोलन के माध्यम से की गई थी

राजनीतिक अस्थिरता → धार्मिक असामंजस्य की की स्थिति मे लोगों का सरकार पर विश्वास उठ जाता है। लोगों की मांगे राष्ट्रीय व समुदाय जब सरकार की इन

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

इन मांगो की पूर्ति नही कर पाती तब प्रदर्शन का तोड़ फोड़ होता है।

घरेलू हिंसा
Domestic Violence

घरेलू हिंसा का अर्थ

घरेलू हिंसा का अभिप्राय परिवार के सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार है। जो उसे शारीरिक या मानसिक रूप मे अघात करता हो। घरेलू हिंसा कौन उत्पन्न करता है। तथा घरेलू हिंसा किसके विरुद्ध होती है।

घरेलू हिंसा प्रायः परिवार के प्रभुता सम्पन्न पुरुष या स्त्री के द्वारा होती है। यह हिंसा महिलाओ के विरुद्ध होती है। ये महिलाएँ घर की लड़कियाँ होती है। या विवाह बन्धन के द्वारा आई घर की बहुएँ होती है।

आहूजा — हिंसा वह व्यवहार है। जिसकी औपचारिक रुप से सामाजिक निन्दा की जाती है। था जो नियमाचारी समूहों के व्यवहार सम्बधी मानदण्डो से विचलन है। इस सन्दर्भ मे घरेलू हिंसा के मानको का क्षेत्र काफी विस्तृत हो जाता है।

मागागी — जिसकी औपचारिक रूपा कार्य जो जान बूझकर, धमकाकर या बलपूर्वक किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अघात पहुचाने हो व उसका विनाश हो या

Date: / /

या उसके समान का ठेस लगा हो इस प्रकार घरेलू हिंसा का एक मानव घटना का रूप मे पहचाना जाना चाहिए क्योंकि इसमे अधिकतर वे कार्य सम्मिलित होते हैं।

इस प्रकार किसी महिला से प्रत्यक्ष या परोक्ष बल प्रयोग करके कुछ लेना जो कि वह स्वेच्छा से देना नही चाहती तथा जिससे उस महिला को शारीरिक आघात का भवात्मक धक्का या दोनो ही लगे हो घरेलू हिंसा है।

जैसे, पत्नी को पीटना यौनाचार विधवा व वड़ी उम्र की महिला के साथ दुर्व्यवहार आदि उल्लेखनीय है।

ख- घरेलू हिंसा की प्रकृति →

① दहेज से सम्बन्धित यातनाएँ व हत्याएँ →

भारत मे हिंसा का सबसे घिनौना रूप दहेज से सम्बधित यातनाएँ व हत्याएँ है। 1961 मे दहेज पर रोक लगा दिया। परन्तु वास्तविकता यही है। कि आज भी वधु-पक्ष से दहेज लेना जारी है। अपमानित होना पड़ता है। मार पीट व हत्या तक की जाती है।

② पत्नी को पीटना → घरेलू हिंसा का एक रूप पत्नी को पीटना वह अपनी पत्नी से प्रेम करेगा और सुरक्षा प्रदान करेगा उस स्थान पर पत्नी पत्नी द्वारा पीटी जाती है। यह हिंसा चाटे व लात मारना हड्डी तोड़ना यातना देना जला देना व हत्या तक होतीहैं

③ यौन दुर्व्यवहार — घरेलू हिंसा का एक घिनौना रूप यौन दुर्व्यहार के रूप समझा जाता है प्यार के अभाव मे यौन समबन्ध होना है। उसके यौन सम्बध जबरजस्ती स्थापित करना ऐसा दुर्व्यवहार स्त्री जीवन को इतना लाञ्छित अपमानित व विषाक्त देता है

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

④ विधवाओ के विरुद्ध हिंसा → विधवाओ के विरुद्ध हिंसा मे पिटना भावात्मक उपेक्षा यातना गाली देना यौन दुर्व्यवहार सम्पति वैध हिंसा से वंचन और उनके बच्चो के साथ दुर्व्यवहार विधवाओ न तो रंगीन कपड़े पहन सकती है। और न किसी शुभ कार्य – उत्सव व शादी रस्म आदि मे भाग ले सकती है। कानुनी रूप से विधवाओ का पुनर्विवाह का अधिकार है।

① तुलनात्मक रूप मे युवा विधवाओ का शोषण व उत्पीड़न अधिक होता है।

② विधवाओ को उनके पति से मिली सम्पति के परिवार के सदस्य हड़पने का प्रयास करते है

प्राचार्य
[illegible] पैरामेडिकल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

अन्य पिछड़े वर्ग

Other Backward Classes

भारतीय समाज मे अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक विशेष पहलू है। जब तक समाज के हर अंग व्यवस्थित जीवन न जीयें इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत मे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने संविधान निर्माण काल मे यह प्रस्ताव रखा इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 340 (1) के द्वारा यह व्यवस्था की गई भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे आयोग को उपयुक्त किया जा सकता है।

(क) अन्य पिछड़े वर्ग का अवधारणा —

अनुसूचित जातियाँ अनसूचित जनजातियाँ महिलाएँ और अन्य पिछड़े वर्ग पिछड़े हुए माने जाते है। भारतीय संविधान मे अनुसूचित जातियों और जनजातियो के समाजिक शैक्षणिक आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के द्वारा अनेक प्रावधान किये गये है। किन्तु अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व रोजगार के क्षेत्रो मे केवल विशेष प्रवधान किये गये थे आरक्षण व्यवस्था नही की गई थी

वी० पी० मण्डल → अध्यक्षता मे जनवरी 1979 मे जिस आयोग का गठन हुआ उसे मण्डल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग मे अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र मे 11 आधार भिन्न है।

अ → समाजिक रूप से अन्य पिछड़े की है।

(i) जिन्हे दुसरे व्यक्तियो के द्वारा सामाजिक रूप मे पिछड़ा है

(ii) जो वर्ग अपनी जीविका के लिए प्रमुखत: शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते है

Date: / /

(III) जिनके 17 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियां की कम आयु मे ही विवाह होने का अधिक प्रचलन है
(IV) जिनमे राज्य की औसत तुलना मे स्त्रियों के द्वारा दो प्रतिशत अधिक शारिरिक श्रम किया जाता है।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएँ

(1) सामाजिक समस्याएँ – इनकी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। आज भी सवर्णों की तुलना मे सर्वाधिक निरक्षर इन्ही के बीच अशिक्षा के कारण अनेक अन्धविश्वास कुसंगत उनसे पिछा छुड़ाना स्वयं ही एक समस्या है। बाल विवाह का प्रचलन इन्ही वर्गों मे सबसे अधिक है।

(2) आर्थिक समस्या → अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आने वाले वर्ग है भूमिहीन श्रमिक छोटे किसान कारीगर औद्योगिक श्रमिक भवनो के निर्माण मे सहायक आदि उच्च व प्रभाव शाली जाति के लोग इन्हे रोजगार के बदले मजदूरी कम देते है।

(3) आन्तरिक असमस्याएँ → अनेक राज्यों मे अन्य पिछड़े वर्गों मे जहां एक समाजिक और आर्थिक रूप से कुछ जातियाँ बहुत पिछड़ी हुई है सामाजिक आधार पर उन्हे पिछड़ा हुआ नही माना जाता है। कुर्मी यादव सुनार लोध राजपूत गोसाई आदि इसी प्रकार का है।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

(4) पिछड़ेपन का राजनीतिकरण – संविधान निर्माण के समय से ही पिछड़ी जातियो वर्गो के साथ राजनीति हो रही है जो हिन्दू जाति व्यवस्था पर निम्न स्तर पर है उन्हे अनुसूचित जाति मे सम्मिलित नही किया गया है।

(5) पिछड़े वर्गो मे क्षेत्रीय असन्तुलन → अन्य पिछड़े वर्गो की एक खास समस्या यह है कि एक जाति एक क्षेत्र मे है। जैसे– गाँवो मे लोहार जाति की स्थिति आज भी निम्न बनी हुई वही लोहार जाति कई नगरो मे उच्च स्थिति है

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

अनुसूचित जातियाँ (दलित)

भीम राव अम्बेडकर ने इसी संसार एक अहिनी घटना कहीं है जिसके अधार पर मनुष्य मनुष्य के समीप आने देखने और शपर्श से अपवित्र हो जाते हैं।
भारत मे इन्हे भगन पुरुष ध्वाइम जातीय तथा अवर्ण चांडाल पंचम अछुत अस्पृश्य उपेक्षित माना जाता है अंग्रेजो ने इन्हे दलित का कहा है 1931 जनगणना मे उन्हे बाहरी जाति कहाँ जाता है

अनुसूचित जाति का अर्थ एवं परिभाषाएँ

सामान्य रूप से अनुसूचित जाति का अर्थ उन अस्पृश्य जातियों से लगाया जाता है। यह निर्धारण सर्वमान्य नही है जो घृणित व्यवसाय नही करती फिर भी उन्हे अपृश्य जाति माना जाता है। भारत मे इन्हे ब्रिटिश काल मे दलित वर्ग कहा जाता था। भारत मे इन जातियों को अछुत दलित बाहरी जातियां व हरजन नामो से सम्बोधित किया जाता है।

डा० मजुमदार ने लिखा है कि अस्पृश्य
— जातिया वे जातियाँ है जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक नियोग्यताओ से पिडित है जिनमे से बहुत सी नियोगिताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू कि गयी है।

हुटन ने इन लोगो को अपृश्य माना है जो उच्च स्थिति के ब्राम्हणो की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हो या सवर्ण हिन्दुओं की सेवा करने वाले नाइयो, कहारो तथा दर्जियों

Date: / /

की सेवा पाने के आयोग्य हो तथा हिन्दु मन्दिरों मे प्रवेश प्राप्त करने के आयोग्य हो व सार्वजनिक सुविधाएँ (पाठशाला) सड़क कुआ को उपयोग मे लाने मे आयोग्य हो तथा

दलित (अनुसूचित जातियों की समस्याएँ

दलित / अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएँ है

(1) निम्न स्थिति — परम्परागत रुप से चली आ रही अस्पृश्यता की विचार धारा के कारण अनुसूचित जाति के समाज निम्न जाति माना है।

जगजीवन राम — ने लिखा है भारतीय समाज ने अपने सामाजिक जीवन के लिए नये मुल्य स्वीकार किये हैं।

मजूमदार और मदान — ने लिखा है कि दक्षिण भारत मे जहाँ जातिवाद का उग्र रुप देखने मे आता है।

सामाजिक सम्पर्क पर रोक — अनुसूचित जाति अर्थात अस्पृश्य जातियों के द्वारा सामाजिक सम्पर्क पर रोक भी एक सामाजिक समस्या है।

मनुस्मृति — के अनुसार "चाण्डालों था अस्पृश्यो का विवाह एंव सम्पर्क अपने बराबर वाले के साथ ही हो तथा रात्रि के समय इन्हे गाँव या नगर मे विचरण करने का अधिकार नाहि दिया जाय

मजूमदार — ने लिखा है कि ये अपने अवास क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते हा केवल रात्रि होने पर ही आ जा सकते है। देश के कुछ भागो मे तो अछुतो की छाया तक अपवित्रता कारक मानी जाती है।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

(3) सार्वजनिक स्थलो के उपयोग पर प्रतिबन्ध —

अनुसूचित जातियो की सार्वजनिक स्थलो के उपयोग पर सामाजिक प्रतिबन्ध भी एक समस्या है।

जैसे — जलपान गृह होटल पार्क पीने के पानी के स्रोत जैसे कुआँ तालाब आदि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है। मद्रास राज्य के एक भाग मे अछूत एवं परिह मध्यान्ह काल मे ही आम सड़को रास्तो पर आ जा सकते है। क्योकि ऐसे समय सुर्य ठीक सिर पर रहता है

(4) आवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध —

ये अपनी स्वेच्छानुसार किसी भी स्थान पर निवास करने हेतु स्वतन्त्र नही थे

मनुस्मृति — के अनुसार चाण्डालो और श्वपाको का निवास स्थान गाँव के बाहर होगा शायद इसी भावना के कारण अनुसूचित जाति को उच्च बास्तियो से दूर रहने के निर्देश दिये गये

(5) शिक्षा और मनोरंजन से वंचित —

प्राचीन काल से ही अछूतो को तथा निम्न जाति के लोगो व शुद्रो की शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र से दूर रखा गया। ये लोग धीरे धीरे निरक्षता के अन्धकार मे भटकते रहे तथा अपनी समस्याओ व कठिनाइयो को विधि भवनो मे प्रवेश भी नही दिया जाता था। इसी प्रकार इन्हे मनोरंजन के साधनो जैसे — बाजारो मेले सामाजिक उत्सव व त्योहारो मे शामिल होने तक से वंचित रखा गया। 31/8/2020

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्या
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्
पाण्डेयपुर, ताखा, औरै